

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 59/2020

बउनवान

नेमीचन्द आयु 40 वर्ष पुत्र नन्दलाल जाति धाकड निवासी हनुवतखेडा तहसील छबडा जिला बारों
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, छबडा जिला बारों

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री संजय नागर अभिभाषक

2- पेरोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.02.2020

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 572/2019 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम हनुवतखेडा की सरकारी भूमि किस्म सिवायचक सम्वत् 2076 मे खसरा नम्बर 438 की रकबा 1 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 50/- रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 11.2.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है नही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी के बयानों मे अपीलांट को जिरह का अवसर नहीं दिया गया है ओर कोई स्वतंत्र गवाह भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलांट को मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर सजायाब किया गया है। अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी गई है और उक्त विवादित आराजी मौके पर खाली पडी हुई है। अपीलांट का उक्त विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की पैमाईश भी नहीं करवाई गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलांट का बेदखलीनामा भी शामिल पत्रावली नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म सिवायचक पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के मिसल नम्बर 1074/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2018 से दण्डित किया जाकर मौके पर सम्वत् 2075 में भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं और अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 572/2019 में अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जाँच करावे कि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 438 की रकबा 1 बीघा भूमि किस्म सिवायचक पर कब्जा नहीं पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 572/2019 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति० जिला कलक्टर, बारों

